(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 109/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवंबर, 2014

सा.का.नि. 813(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 को संशोधित करने के लिए पुनः निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का नाम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) ये 22 नवंबर 2014 से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,- नियम 7 में, उपनियम (1) में, "वह तीन माह के भीतर कर सकता है" शब्द के लिए "वह, जहाँ नियम 3 अथवा नियम 4 के अंतर्गत प्रतिअदायगी का दावा कर चुका है को छोड़कर, तीन माह के भीतर कर सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(फा.सं.609/107/2014-डीबीके)

(संजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकर

नोटः- मूल नियम सा.का.नि. 441 (अ) दिनांक 26 मई, 1995 के जरिए प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 97/2013-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 14 सितम्बर, 2013 द्वारा सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2013 के जरिए किया गया।